

न्यायालय:- चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड (म.प्र.)
(समक्ष : विकास शुक्ला)

व्यवहारवाद प्रकरण क्र० 2400162-ए/2016

F.N. 102047/2016

संस्थापित दिनांक-21.09.2016

मुस. धनवन्ती पत्नी स्व. श्री नकछिद्धे राठौर
आयु 80 वर्ष, व्यवसाय गृह कार्य, निवासी
ग्राम बीसलपुरा हाल लहार रोड लाला के पुरा
के सामने ऊमरी परगना व जिला भिण्ड
(म०प्र०)

..... आवेदक / वादी

वि रू द्ध

1. सुमितनारायण पुत्र श्री प्रभूदयाल शर्मा उम्र 50 वर्ष, व्यवसाय नौकरी निवासी ग्राम बीसलपुरा हाल लहार रोड उद्योग विभाग के पास समीर नगर वार्ड नम्बर 25 भिण्ड
2. सुदामा पुत्र नकछिद्धे राठौर आयु 53 वर्ष, व्यवसाय कृषि,
3. विसुन कुमार पुत्र नकछिद्धे राठौर आयु 50 वर्ष, व्यवसाय कृषि समस्त निवासीगण ग्राम बीसलपुरा हाल निवासी लहार रोड लाला के पुरा के सामने ऊमरी परगना व जिला भिण्ड (म०प्र०)।
4. जीवाराम पुत्र तुलाराम राठौर आयु 60 वर्ष, व्यवसाय कृषि निवासी ग्राम बीसलपुरा तहसील व जिला भिण्ड
5. मध्यप्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर, भिण्ड

—अनावेदकगण/प्रतिवादीगण

(// आदेश //

(आज दिनांक **03.07.2017** को पारित किया गया)

1. यह आदेश आवेदक/वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम-1 व 2 सीपीसी का निराकरण करेगा।
2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि आवेदक/वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 2 सुदामा एवं प्रतिवादी क्रमांक 3 विसुन कुमार आपस में मां एवं पुत्रगण हैं।

3. वादपत्र के अभिवचन एवं आवेदन के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम मोतीपुरा जिला भिण्ड में भूमि सर्वे क्रमांक 222 रकवा 0.600, सर्वे क्रमांक 223 रकवा 0.200, सर्वे क्रमांक 558 रकवा 0.730, सर्वे क्रमांक 560 रकवा 0.960, सर्वे क्रमांक 561 रकवा 0.940, सर्वे क्रमांक 562 रकवा 0.180, सर्वे क्रमांक 564 रकवा 1.240, कुल कित्ता 8 कुल रकवा 5.900 स्थित है, जो आवेदक/वादी के पति नकछिद्धे व प्रतिवादी क्रमांक 4 जीवाराम के नाम खसरा वर्ष 2015-2016 दिनांक 16.05.2016 तक राजस्व अभिलेख में दर्ज होकर आवेदक/वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 2 एवं लगायत 4 के सह-स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि है। उक्त भूमि में सर्वे क्रमांक 561 रकवा 0.940 एवं सर्वे क्रमांक 564 रकवा 1.240 हेक्टर पर विवाद है। उक्त समस्त सर्वे नम्बर की भूमियों का करीब 20 वर्ष पूर्व घरेलू बटवारा हो चुका है, जिसके अनुसार प्रतिवादी क्रमांक 4 को संपूर्ण भूमि का 1/2 भाग दिया गया था तथा शेष 1/2 भाग प्रतिवादी क्रमांक 2 व 3 के साथ साथ वादिया के पति स्व. नकछिद्धे को प्राप्त हुआ था। आपसी घरू बटवारे के अनुसार आवेदक/वादी के पति नकछिद्धे को सर्वे क्रमांक 561 रकवा 940 में से 0.47 तथा सर्वे क्रमांक 564 रकवा 1.240 से 0.62 हेक्टर भूमि दी गई थी, जिस पर वह अपने जीवनकाल में खेती करते रहे तथा असाध्य होने पर अपने हिस्से की भूमि पुत्र सुदामा को जुतवा दी तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 उसके नाम से फर्जी वयनामा दिनांक 17.03.2003 व 07.04.2004 करवा लिये, जिसकी जानकारी वादिया एवं उसके पति को नहीं हो सकी जब कि राजस्व अभिलेख में विवादित भूमि पति के नाम से दर्ज थी। वादिया के पति नकछिद्ध की मृत्यु दिनांक 22.01.2008 को हो गयी, लेकिन वारिसानों के नाम नामांतरण अभी तक नहीं हो सका तथा प्रतिवादी क्रमांक 2 एवं 3 पुत्रगण ने वादिया के नाम नामांतरण की गलत जानकारी गई। दिनांक 30.08.2016 को सिपाई द्वारा नोटिस देकर बताया गया कि प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 2 सुदामा के विरुद्ध कार्यवाही गई, जिस पर प्रतिवादी क्रमांक 2 सुदामा ने वादिया को बताया कि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने सुदामा के नाम की भूमि का उसकी जानकारी के बिना बयनामा करा लिया है। जब प्रतिवादी क्रमांक 1 से वादिया ने फर्जी कार्यवाही के लिये कहा, तो उसके पुत्रगण तैयार नहीं हुए। प्रथम दृष्टया मामला वादिया के पक्ष में है। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन स्वीकार कर प्रतिवादी क्रमांक 1 को विवादित भूमि का विक्रय करने या अन्यत्र स्थानांतरण करने से निषेधित किये जाने का निवेदन किया गया है।

4. प्रतिवादी क्रमांक 1 सुमितनारायण की ओर से उक्त आवेदन पत्र का जबाब प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया गया है कि ग्राम मोतीपुरा जिला भिण्ड में भूमि सर्वे क्रमांक 222 रकवा 0.600, सर्वे क्रमांक 223 रकवा 0.200, सर्वे क्रमांक 558 रकवा 0.730, सर्वे क्रमांक 560 रकवा 0.960, सर्वे क्रमांक 561 रकवा 0.940, सर्वे क्रमांक 562 रकवा 0.180, सर्वे क्रमांक 564 रकवा 1.240, वादिया के पति एवं प्रतिवादी क्रमांक 4 के नाम से वर्ष 2015-2016 तक राजस्व अभिलेख में गलत रूप से दर्ज होते चले आ रहे हैं। उक्त सर्वे भूमियों से सर्वे क्रमांक 561 रकवा 0.470 एवं सर्वे क्रमांक 564 रकवा 0.62 हेक्टर को प्रतिवादी क्रमांक

2 द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.03.2003 एवं दिनांक 07.04.2004 प्रतिवादी क्रमांक 1 को विक्रय किये जा चुके हैं तथा मौके पर कब्जा भी दिया जा चुका है तथा उसके नाम से नामांतरण भी हो चुका है। वास्तविकता तो यह है कि वादी के पति नकछिद्दे एवं प्रतिवादी क्रमांक 4 जीवाराम के मध्य हुए बटवारे में सर्वे क्रमांक 222,223,561,564 प्राप्त हुए थे। वादिया के पति को हिस्से में जो भूमि प्राप्त हुई थी उसमें वादिया के पति एवं प्रतिवादी क्रमांक 2 व 3 की सहमति से न्यायालय तहसीलदार वृत्त ऊमरी में के प्रकरण क्रमांक 34/2000-2001 (अ) 27 में आदेश दिनांक 07.09.2001 को बटवारा हुआ था। प्रतिवादी क्रमांक 2 सुदामा द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 के हक में किये गये वयनामा की जानकारी वादिया एवं उसके पति को थी। विवादित भूमि का विधिवत बटवारा होने पर ही प्रतिवादी क्रमांक 2 द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा विक्रय की गई है। अतः वादिया की ओर से प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

5. प्रतिवादी क्रमांक 2, 4 एवं 5 एक पक्षीय है।

6. प्रतिवादी क्रमांक 3 की ओर से उक्त आवेदन का जबाब न देना प्रकट किया गया है।

आवेदन के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह हैं कि—

अ. क्या प्रथम दृष्टया मामला आवेदक/वादी के पक्ष में है?

ब. क्या सुविधा का संतुलन आवेदक/वादी के पक्ष में है?

स. यदि अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की गई तो, क्या आवेदक/वादी को आर्थिक/अपूर्णनीय क्षति होना संभावित है?

7. वाद पत्र के पद क्रमांक 2 के अनुसार इस मामले में वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 561 क्षेत्रफल 0.940 एवं सर्वे क्रमांक 564 क्षेत्रफल 1.240 हेक्टेयर है, जिसके संबंध में वादी का अभिवचन एवं शपथ पत्रीय कथन है कि उक्त भूमि के क्षेत्रफल में से कमशः 0.47 एवं 0.62 हेक्टेयर भूमि उसके पति नकछिद्दे को बटवारे में प्राप्त हुई थी और उस पर वह कृषि कार्य करते थे तथा असहाय होने पर उक्त भूमि को प्रतिवादी क्रमांक 2 को जुतवा दिया था तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 ने उक्त भूमि के विक्रय पत्र दिनांक 17.03.2003 एवं 07.4.2004 अपने पक्ष में सुदामा से निष्पादित करा लिये हैं, जबकि विक्रय दिनांक को वादी का पति नकछिद्दे जीवित था और उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में उसी के नाम दर्ज थी। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने लिखित कथन में एवं शपथ पत्रीय कथन में बताया है कि उसने उक्त भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.03.2003 व 07.4.2004 के माध्यम से प्रतिवादी क्रमांक 2 से क्रय की है और कृषि कार्य कर रहा है तथा प्रतिवादी क्रमांक 2 को उक्त भूमि बटवारे में प्राप्त हुई थी। इस प्रकार उभयपक्ष की ओर से किये गये अभिवचन एवं

शपथ पत्रीय कथन परस्पर विरोधाभासी है और उनके आधार पर इस प्रक्रम पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

8. वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में दो खसरा वर्ष 2015-16, अधिकार अभिलेख 1993, नकछिददे का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा विक्रय पत्र दिनांक 17.03.2003 एवं 07.4.2004 की प्रमाणित प्रतिलिपि अभिलेख पर प्रस्तुत की है। खसरा वर्ष 2015-16 के अनुसार विवादित सर्वे क्रमांक 561 एवं 564 नकछिददे एवं प्रतिवादी क्रमांक 4 जीवाराम के नाम दर्ज है, दूसरा खसरा में उक्त भूमि सर्वे क्रमांक 561 मिन 2 एवं 564 मिन 2 के रूप में लेख होकर प्रतिवादी क्रमांक 1 सुमित नारायण के नाम दर्ज है। अधिकार अभिलेख वर्ष 1993 के अनुसार उक्त सर्वे क्रमांक नकछिददे के नाम दर्ज है। प्रस्तुत विक्रयपत्रों से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी क्रमांक 2 ने प्रतिवादी क्रमांक 1 को उक्त भूमि विक्रय की है। उपरोक्त समस्त दस्तावेजों से दर्शित है कि वर्ष 1993 में विवादित सर्वे क्रमांक नकछिददे के नाम थे और वर्ष 2015-16 में भी नकछिददे के नाम दर्ज है, परंतु मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार वर्ष 2008 में नकछिददे की मृत्यु हो चुकी है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि नकछिददे की मृत्यु के पश्चात राजस्व अभिलेख में कोई परिवर्तन नकछिददे के स्थान पर नहीं हुआ है। विक्रय पत्रों के अनुसार वादी के पुत्र सुदामा प्रतिवादी क्रमांक 2 ने प्रतिवादी क्रमांक 1 सुमित नारायण को विवादित भूमि विक्रय की है। उक्त विक्रय पत्र रजिस्टर्ड विक्रय पत्र है और उन पर इस प्रक्रम पर अविश्वास नहीं किया जा सकता।

9. प्रतिवादी क्रमांक 1 के अनुसार विवादित सर्वे क्रमांक प्रतिवादी क्रमांक 2 सुदामा को बटवारे में प्राप्त हुये थे। इस संबंध में न्यायालय अपर तहसीलदार वृत्त उमरी की कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपियां तथा फर्द बटवारा की प्रमाणित प्रतिलिपि अभिलेख पर प्रतिवादी क्रमांक 1 ने प्रस्तुत की है, जिससे यह प्रकट है कि उक्त सर्वे क्रमांक का विवादित क्षेत्रफल प्रतिवादी क्रमांक 1 सुदामा को बटवारे में प्राप्त हुआ। ऐसी स्थिति में जबकि सुदामा को विवादित भूमि बटवारे में प्राप्त हुई है और उसने उक्त भूमि प्रतिवादी क्रमांक 1 को विक्रय की है, तब प्रथम दृष्टया यह नहीं माना जा सकता कि वादग्रस्त भूमि पर वादी का स्वत्व एवं आधिपत्य है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में होना नहीं पाया जाता है।

10. जहां तक सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति होने का प्रश्न है, उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में होना नहीं पाया गया है और प्रथम दृष्टया वादग्रस्त भूमि पर वादी का स्वत्व एवं आधिपत्य होना भी दर्शित नहीं है। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना भी वादी के पक्ष में होना नहीं मानी जा सकती। अतः सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति की संभावना को भी वादी के पक्ष में होना नहीं पाया जाता है।

11. अतः उपरोक्त दर्शित तथ्य एवं परिस्थितियों में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों सिद्धांत वादीगण के पक्ष में न होने से वादीगण की ओर से प्रस्तुत

आवेदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 एवं 2 व्यवहार प्रक्रिया संहिता निरस्त किया जाता है।

(विकाश शुक्ला)

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
भिण्ड (मध्यप्रदेश)

आदेश आज दिनांक- 03.07.2017 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, दिनांकित एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(विकाश शुक्ला)

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
भिण्ड (मध्यप्रदेश)